

प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 01.09.2022

हत्या की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में जेल में निरुद्ध अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त हॉंडा वेन्यू कार व नाजायज देशी पिस्टल व कारतूस किया गया बरामद

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 574/2022 धारा 323,364,504,506,120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्त सचिन यादव पुत्र पूरन प्रसाद यादव उर्फ गुंजा यादव निवासी मोहल्ला गिरधरगंज बाजार कूड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में दिनांक 01.09.22 में लेकर अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन हॉंडा वेन्यू कार तथा एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस .32 बोर को अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 01.09.22 समय 14.50 बजे ग्राम रामपुर पड़वा से बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 671/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-

वादी द्वारा दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्तगण 1. विकेश शुक्ला पुत्र पता अज्ञात 2. सचिन यादव पुत्र पुजां प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैण्ट गोरखपुर 3. शक्तिधर सिंह पुत्र अज्ञात व अन्य दो व्यक्ति के द्वारा वादी मुकदमा को मारने पीटने व गाली गुप्ता देते हुए पिस्टल दिखाकर गाड़ी में बैठाकर अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिस पर थाना कैण्ट पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.08.22 को अभियुक्तगण 1. विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी गौरी बाजार मोहल्ला पालन कुण्डा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, 2. अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी म.नं. 57आवास विकास कालोनी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर व 3. शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी म.नं. 214 आवास विकास कालोनी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 18.08.22 को अभियुक्त शक्तिधर सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह निवासी घघरूआ खण्डेसर थाना घुघली जनपद महाराजगंज व दिनांक 20.08.22 को अभियुक्त सचिन यादव पुत्र गुंजा प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैण्ट गोरखपुर द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

अभियुक्त सचिन यादव को मु0अ0सं0 574/22 धारा 323,364,504,506,120बी भादवि से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त शस्त्र बरामद करने हेतु मा0 न्यायालय से अभियुक्त सचिन यादव उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस .32 बोर व घटना में प्रयुक्त वाहन हॉंडा वेन्यू कार को बरामद किया गया।

अभियुक्त सचिन यादव उपरोक्त अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 574/2022 धारा 323,364,504,506,120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस .32 बोर
2. घटना में प्रयुक्त हॉंडा वेन्यू कार

बरामदगी मे शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अमित चौधरी चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 सुशील कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 विनोद कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. का0 अखिलेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर